तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

प्रार्थना पत्र संख्या 280 / 2022 GCMS NO 2022/506
उनवानी राजेन्द्र बनाम अमर सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 111 / 128 एल आर एक्ट 1956

1.08.2024

पत्रावली पेश हुई। आवाज पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित आये। बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी के द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये मुख्य अनुतोष यह चाहा गया है कि प्रार्थी की ग्राम ढोसी पटवार मण्डल ठाठवाडी तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नम्बर 826 / 61 रकबा 0.58 हेक्टेयर की उत्तरी, दक्षिणी व पूर्वी सीमा जो खसरा नम्बर 62, 827 / 61, 65, 66 के साथ लगती है तथा खसरा नम्बर 824 / 637 रकबा 0.97 हेक्टेयर की उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी एवं पश्चिमी सीमा जो खसरा नम्बर 638, 764 / 635, 825 / 637, 635, 636, 639, 640 के साथ लगती है। उक्त खसरा नम्बरों की सर्वेसीट से नपती करवाकर खसरा नम्बर 826 / 61 रकबा 0.58 हेक्टेयर की उत्तरी, दक्षिणी व पूर्वी सीमा पर तथा खसरा नम्बर 824 / 637 रकबा 0.97 हेक्टेयर की उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी व पश्चिमी सीमा पर पुख्ता सीमेन्ट व पत्थर के पिलर लगवाने का आदेश दिया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 ग्राम **ढोसी** पटवार हल्का **ठाठवाड़ी** तहसील खेतडी के हाल खाता संख्या 120 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 826 / 61 रकबा 0.58 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 824 / 637 रकबा 0.97 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.55 हेक्टेयर प्रार्थी की एकांकी खातेदारी की भूमि है। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 08.06.2022 द्वारा पटवारी हल्का ठाठवाड़ी के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी ने विवादित भूमि का सीमाज्ञान भी विधिवत् रूप से करवाया है तथा सीमाज्ञान आदेश दिनांक 08.06.2022 के अनुसार ही पत्थरगढी करवाना चाहता है। जो विधिसम्मत है। लिहाजा

आदेश

अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि वह वाके ग्राम **ढोसी** पटवार हल्का **ठाठवाड़ी** तहसील खेतड़ी स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 826 / 61 रकबा 0.58 हेक्टेयर की उत्तरी, दक्षिणी व पूर्वी सीमा तथा खसरा नम्बर 824 / 637 रकबा 0.97 हेक्टेयर की उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी एवं पश्चिमी सीमा की पटवारी हल्का **ठाठवाड़ी** की सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 08.06.2022 के अनुसार 3000 / – रूपये की फीस पर भूमि खसरा नम्बर 62, 65, 66, 827 / 61, 638, 764 / 635, 635, 636, 825 / 637, 639, 640 के खातेदार अप्रार्थीगण की मौके पर उपस्थिति में भूमि खसरा नम्बर 826 / 61, 824 / 637 की सीमाओं का पुनः सीमाकंन करवाया जाकर पुख्ता पिल्लर पत्थरगढी करवायें तथा पालना रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवावें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **01.08.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/8/24

(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतडी
जिला नीमकाथाना (राज0)

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी
जिला-नीमकाथाना (राज.)